Hindi Update of Extension of time limit for issuance of Order

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों तथा lockdown के चलते हुए सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी करके CGST एक्ट में सेक्शन 168A insert किया था तथा इस सेक्शन में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए notification number 35/2020 जारी किया था। इस नोटिफिकेशन से सरकार ने काफी सारे कार्य करने की समय सीमा को 30/06/2020 तक बढ़ा दिया। इससे टैक्सपेयर को नोटिस का कोई भी रिप्लाई देने की समय सीमा भी बढ़कर 30 जून 2020 हो गई । इसी तरह से Adjudicaiton officer व Appellate authorities के ऑर्डर पास करने की समय सीमा भी बढ़कर 30 जून 2020 तक हो गई।

परंतु इससे एक समस्या पैदा हो गई। अगर किसी टैक्सपेयर ने रिफंड फाइल किया है और अधिकारी ने उसे show cause notice जारी किया है तो उसका उत्तर देने की समय सीमा 30 जून 2020 तक हो गई है। परंतु अगर यह टैक्सपेयर अंतिम तिथि को ही इसका reply online portal पर फाइल करता है अधिकारी को उसको पढ़कर वापस ऑर्डर निकालने में समय लगेगा। परंतु रिफंड देने की समय सीमा होती है और अगर उस में विलंब होता है तो सरकार को टैक्सपेयर को ब्याज भी देना पड़ता है। परंतु इस केस में अधिकारी कि कोई गलती ना होते हुए भी सरकार को ब्याज देना पड़ रहा था।

इस समस्या के मद्देनजर सरकार ने रिफंड से संबंधित एक नोटिफिकेशन नंबर 46/2020-Central Tax दिनांक 09.06.2020 जारी किया है। इसमें यदि टैक्सपेयर को 20 मार्च 2020 से 29.06.2020 तक की अवधि में कारण बताओ नोटिस का रिप्लाई फाइल करना है, उस स्थिति में टैक्सपेयर अपना रिप्लाई जिस दिन संबंधित विभाग में फाइल करेगा उससे 15 दिन के भीतर या 30-06-2020 के पूर्व, इन दोनों में से पहले जो होगा, अधिकारी के लिए मूल आदेश जारी करने की समय सीमा होगी।मूल आदेश सेक्शन 54 (5) of CGST Act read with सेक्शन 54(7) of CGST Act के अनुसार जारी किया जा सकता है| उपरोक्त नोटिफिकेशन लाने का मुख्य कारण यह है कि यदि टैक्सपेयर अपना रिप्लाई अंतिम तिथि 30.06 2020 को संबंधित विभाग में प्रस्तुत करता है तो उस स्थिति में संबंधित विभाग को मूल आदेश जारी करने का समय नहीं मिल पाएगा इसलिए सरकार ने उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए यह नोटिफिकेशन जारी किया है इससे संबंधित विभाग को काफी राहत मिलेगी|

उपरोक्त नोटिफिकेशन भी Section 168A of CGST Act के अंतर्गत issue किया गया है तथा यह भी बताया गया है कि यह दिनांक 20 मार्च 2020 से लागू होगा| अब यह देखने वाली बात है कि Section 168A में मिली शक्तियों से retrospective amendment भी किया जा सकता है?

परंतु इसमें एक ध्यान देने लायक अच्छी बात यह है कि सरकार छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हुए कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करते हुए नोटिफिकेशन निकाल रही है। इसके लिए CBIC के अधिकारियों का तथा सरकार का कोटि-कोटि धन्यवाद।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.